

05 मार्च 2024 : समाचार विश्लेषण

A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

राज्यवस्था:

1. सर्वोच्च न्यायालय ने रिश्वत लेने वाले विधायकों की छूट खत्म की:
2. शाह से बातचीत का कोई सकारात्मक नतीजा नहीं: लद्दाख के नेता
3. SBI ने चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा:

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

E. संपादकीय:

सामाजिक मुद्दे:

1. एक उपनाम में क्या छिपा है?

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

1. रूस-उत्तर कोरिया संबंधों में त्वरित परिवर्तन:

विज्ञान:

1. एक टीका जो छह प्रकार के कैंसरों को रोकता है:

F. प्रीलिम्स तथ्य:

1. 3 डिग्री की वजह से हिमालय में साल भर सूखा:
2. बड़े स्वीडिश अध्ययन ने आंत्र रोग और शिशु आहार के बीच संबंध का संकेत दिया:
3. क्या आप स्पैम या धोखाधड़ी कॉल से परेशान हो चुके हैं? तो चक्षु पर मुकदमा दायर कर सकते हैं:

G. महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

सर्वोच्च न्यायालय ने रिश्वत लेने वाले विधायकों की छूट खत्म की:

राज्यवस्था:

विषय: संसद और राज्य विधायिका-संरचना, कार्य, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय।

मुख्य परीक्षा: संसदीय विशेषाधिकार।

विवरण:

- सर्वोच्च न्यायालय की सात जजों की पीठ ने एक फैसला सुनाया है कि संसदीय विशेषाधिकार (parliamentary privilege) या छूट उन विधायकों को आपराधिक मुकदमे से नहीं बचाएगी जो संसद या राज्य विधानसभाओं में वोट डालने या बोलने के लिए रिश्वत लेते हैं।
- इस फैसले ने एक 25 साल पुराने फैसले को पलट दिया है, जिसे जेएमएम रिश्वत मामले के रूप में जाना जाता है, जिसमें पहले रिश्वत लेने वाले सांसदों को छूट प्रदान की गई थी।

फैसले के पीछे तर्क:

- प्रतिरक्षा दावों की अस्वीकृति:
 - सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि विशेषाधिकार और उन्मुक्ति विधायकों को देश के सामान्य कानून से छूट प्रदान नहीं करते हैं।

- **रिश्वतखोरी अपराध का समापन:**

- अदालत ने स्पष्ट किया कि रिश्वत का अपराध धन स्वीकार करने या लेने के लिए सहमत होने पर किया जाता है, चाहे बाद में भाषण देना या वोट डालना जैसी कोई भी कार्रवाई क्यों न हो।

- **प्रतिनिधि लोकतंत्र की सुरक्षा:**

- मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रिश्वतखोरी संविधान (Constitution) के आकांक्षी और विचारशील आदर्शों से समझौता करती है, जिससे एक गैर-उत्तरदायी और गैर-जिम्मेदार लोकतंत्र की ओर अग्रसर होता है।

- **संसदीय प्रतिरक्षा की सीमाएँ:**

- निर्णय ने संसदीय प्रतिरक्षा का दावा करने के लिए दोहरे परीक्षण को चित्रित किया, और उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जो सदन की गरिमा को बढ़ाते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रयोग करते हैं।
- यदि यह कानून के शासन (rule of law) को कमजोर करता है और विधायकों को जवाबदेही से ऊपर रखता है तो उन्मुक्ति लागू नहीं की जा सकती है।

आपराधिक न्यायालयों और विधानमंडल का समानांतर क्षेत्राधिकार:

- अदालत ने पुष्टि की कि रिश्वतखोरी के आरोपों के संबंध में आपराधिक अदालतों और विधायी निकायों के क्षेत्राधिकार के क्षेत्र अलग-अलग हैं।
- भ्रष्ट कृत्यों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए, कोई भी क्षेत्राधिकार दूसरे के अधिकार को रद्द नहीं कर सकता है।

सारांश:

- सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल पुराने फैसले को पलटते हुए विधायकों को रिश्वत लेने की छूट खत्म कर दी है। रिश्वत लेने वाले सांसदों को संसदीय कार्रवाई की परवाह किए बिना आपराधिक अभियोजन का सामना करना पड़ता है। यह निर्णय भारतीय लोकतंत्र में कानून के शासन और जवाबदेही को कायम रखता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

शाह से बातचीत का कोई सकारात्मक नतीजा नहीं: लद्दाख के नेता

राज्यवस्था:

विषय: भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान।

प्रारंभिक परीक्षा: छोटी अनुसूची से सम्बन्धित जानकारी।

मुख्य परीक्षा: लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग।

विवरण:

- लद्दाख के नेताओं ने इस क्षेत्र के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है।
- यह बैठक वर्ष 2020 के बाद से लद्दाख समूहों और गृह मंत्री के बीच पहली बातचीत है।

प्रसंग और परिणाम:

- पूर्व सांसद थुपस्तान छेवांग, जो लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन (LBA) के प्रमुख भी हैं, ने इस वार्ता का नेतृत्व किया।
- 5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 ([Article 370](#)) को निरस्त करने के बाद यह क्षेत्र बिना विधान सभा के केंद्र शासित प्रदेश बन गया।

बैठक विवरण:

- लेह शीर्ष निकाय (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के नागरिक समाज के नेताओं ने गृह मंत्रालय (MHA) के अधिकारियों के साथ दो दौर की बैठकें की हैं।
- चर्चा के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।
- इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई, जिसमें भी सकारात्मक नतीजे नहीं निकले।

मुद्दे और मांगें:

- लद्दाख की 2.74 लाख की आबादी ने स्थानीय लोगों के लिए भूमि, संसाधनों और रोजगार के अवसरों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है।
- पिछले विरोध प्रदर्शनों ने नौकरशाही की अतिरेक के बारे में चिंताओं को उजागर किया है।

विशिष्ट मांगों में शामिल हैं:

- लद्दाख को राज्य का दर्जा।
- लद्दाख को जनजातीय दर्जा देते हुए संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule) में शामिल करना।
- स्थानीय निवासियों के लिए नौकरी में आरक्षण।
- लेह और कारगिल के लिए संसदीय सीटों का आवंटन।

सारांश:

- स्थानीय लोगों के लिए भूमि, संसाधनों और नौकरी आरक्षण पर चिंताओं के बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ लद्दाख के नेताओं की बातचीत राज्य और आदिवासी दर्जे सहित संवैधानिक सुरक्षा उपायों की उनकी मांगों पर सकारात्मक परिणाम देने में विफल रही।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

SBI ने चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा:

राजव्यवस्था:

विषय: न्यायपालिका।

मुख्य परीक्षा: चुनावी बांड।

संदर्भ:

- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बांड (electoral bonds) पर जानकारी का खुलासा करने के निर्देश का पालन करने के लिए 30 जून तक की मोहलत के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फरवरी को चुनावी बांड योजना को "असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से मनमाना" बताते हुए अमान्य कर दिया है।

न्यायालय के निर्देश और प्रकटीकरण समयरेखा:

- अदालत ने एसबीआई को 6 मार्च की समय सीमा के साथ 12 अप्रैल, 2019 से चुनावी बांड प्राप्त करने और भुनाने वाले राजनीतिक दलों का विवरण चुनाव आयोग (Election Commission (EC)) को बताने का आदेश दिया।
- लोकसभा चुनाव से पहले पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए चुनाव आयोग को 13 मार्च तक यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी थी।

व्यावहारिक कठिनाइयाँ और डिकोडिंग प्रक्रिया:

- एसबीआई ने डिकोडिंग (गुप्त संदेश (कोड)) प्रक्रिया और आवंटित समयसीमा में व्यावहारिक चुनौतियों का हवाला देते हुए, दाता की गुमनामी सुनिश्चित करने वाले कड़े उपायों को जटिलताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
- डिकोडिंग अभ्यास में बांड खरीद के साथ दाताओं का मिलान करना शामिल है, यह प्रक्रिया पूरे भारत में कई शाखाओं तक फैली हुई है, प्रत्येक दाता जानकारी का एक निर्दिष्ट सेट बनाए रखता है।

भंडारण और पुनर्प्राप्ति चुनौतियाँ:

- दाता की जानकारी प्राप्त करने के लिए खरीद की तारीखों के साथ जारी करने की तारीखों और बाद के बांड मोचन विवरणों को क्रॉस-रेफरेंसिंग की आवश्यकता होती है, जो आसान पहुंच को रोकने के लिए डिजिटल और भौतिक रूप से संग्रहीत होते हैं। (बांड मोचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बांड जारीकर्ता बांड की परिपक्वता तिथि पर बांडधारक को बांड की मूल राशि का भुगतान करता है।)

सारांश:

- भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बांड विवरण का खुलासा करने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए 30 जून तक विस्तार की मांग की है। डिकोडिंग प्रक्रियाओं और भंडारण जटिलताओं में व्यावहारिक चुनौतियों के कारण देरी की आवश्यकता होती है।

संपादकीय-द हिन्दू**संपादकीय:**

एक उपनाम में क्या छिपा है?

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

सामाजिक मुद्दे:

विषय: महिला एवं महिला संगठन की भूमिका।

मुख्य परीक्षा: समाज में प्रचलित पितृसत्ता के प्रतीक के रूप में उपनाम।

विवरण:

- दिल्ली उच्च न्यायालय में सुश्री दिव्या मोदी टोंग्या की याचिका तलाक के बाद अपने पहले नाम को पुनः प्राप्त करने में महिलाओं के संघर्ष को उजागर करती है।

- तलाकशुदा महिलाओं से दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता वाली सरकारी अधिसूचनाएँ लैंगिक पूर्वाग्रह को कायम रखती हैं और उनकी पहचान चुनने के उनके संवैधानिक अधिकार को प्रतिबंधित करती हैं।
- तलाक के कागजात या पति से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता गहरी बैठी स्त्रीद्वेष और महिलाओं की प्राथमिकताओं पर नियंत्रण को दर्शाती है।

सामाजिक चुनौतियाँ और भेदभाव:

- जो महिलाएँ अपने पति का उपनाम नहीं अपनाने का विकल्प चुनती हैं उन्हें विभिन्न सामाजिक और प्रशासनिक सेटिंग्स में उत्पीड़न और अनावश्यक कागजी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।
- संयुक्त बैंक खाते खोलना, बच्चों का स्कूल में दाखिला कराना या पासपोर्ट प्राप्त करना जैसे मामले बाधा बन जाते हैं, जिससे महिलाओं की पसंद के प्रति सामाजिक भेदभाव बढ़ जाता है।

लैंगिक असमानताएँ और सामाजिक मानदंड:

- भारत, लैंगिक असमानताओं से जूझ रहा है, पितृसत्तात्मक मानदंडों को बरकरार रखता है जहाँ महिलाओं को अवैतनिक घरेलू काम का खामियाजा भुगतना पड़ता है और श्रम बल से बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।
- पुरुषों द्वारा निर्धारित और कभी-कभी महिलाओं द्वारा स्वीकार की जाने वाली पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ असमानताओं को और बढ़ाती हैं, जिससे लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति बाधित होती है।

परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता:

- संयुक्त राष्ट्र (United Nations) लैंगिक समानता हासिल करने और महिलाओं को सशक्त बनाने को विश्व स्तर पर सर्वोपरि मानवाधिकार चुनौती के रूप में पहचानता है।

- मजबूत विधायी उपायों और सामाजिक ढांचे के बिना लैंगिक समानता पर महज बयानबाजी सच्ची समानता की खोज को कमजोर कर देती है, जिससे सार्थक बदलाव के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

सारांश:

- लिंग पूर्वाग्रह के खिलाफ लड़ाई में, सुश्री दिव्या मोदी टोंगा की याचिका में कानूनी और सामाजिक बाधाओं को चुनौती दी गई है, जो तलाक के बाद महिलाओं को अपने पहले नाम को पुनः प्राप्त करने के अधिकार में बाधा डालती है, जो व्यापक सामाजिक असमानताओं और ठोस बदलाव की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है।

रूस-उत्तर कोरिया संबंधों में त्वरित परिवर्तन:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करता है।

मुख्य परीक्षा: रूस-उत्तर कोरिया के प्रगाढ़ संबंध और भू-राजनीति पर इसका प्रभाव।

विवरण: रूस-उत्तर कोरिया संबंधों का तीव्र परिवर्तन

- हाल की घटनाएं रूस और उत्तर कोरिया के बीच संबंधों के तेजी से गहरे होने का संकेत देती हैं, विशेष रूप से 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण (Russia's invasion of Ukraine in 2022) के बाद से।
- इससे सम्बन्धित उल्लेखनीय घटनाओं में दोनों देशों के नेताओं के बीच उच्च स्तरीय यात्राएं और राजनयिक जुड़ाव में वृद्धि शामिल है।
- वर्ष 2024 में व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग-उन के बीच आगामी शिखर सम्मेलन सहित आगे के विकास के लिए प्रत्याशा अधिक है।

ऐतिहासिक संदर्भ और हालिया विकास:

- ऐतिहासिक रूप से, रूस और उत्तर कोरिया ने साझा साम्यवादी विचारधाराओं के कारण शीत युद्ध (Cold War) के दौरान राजनयिक संबंध बनाए रखे।
- समय के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव आया लेकिन हाल ही में राजनयिक आदान-प्रदान और रणनीतिक सहयोग में वृद्धि के कारण इनमें गर्मजोशी आई है।
- यूक्रेन संकट के दौरान उत्तर कोरिया रूस को हथियारों और युद्ध सामग्री का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है।

सहभागिता और सहयोग के क्षेत्र:

- दोनों देश उत्तर कोरिया के उपग्रह विकास के लिए तकनीकी सहायता सहित संवेदनशील क्षेत्रों में सहयोग तलाश रहे हैं।
- चर्चाओं में बीजिंग के साथ संभावित त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास शामिल है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है।
- हालिया इन पहलों में फरवरी 2024 में रूस से उत्तर कोरिया तक पर्यटन को फिर से शुरू करना शामिल है।

आर्थिक साझेदारी और ऊर्जा सहयोग:

- रूस उत्तर कोरिया को विशेष रूप से ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
- राजिन-खासन रेलवे (Rajin-Khasan railway) जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं आर्थिक सहयोग बढ़ाने के ठोस प्रयासों को प्रदर्शित करती हैं।
- ऊर्जा सहयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस उत्तर कोरिया का प्रमुख ईंधन आपूर्तिकर्ता है।

रणनीतिक निहितार्थ और साझा चुनौतियाँ:

- पश्चिम के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच रूस और उत्तर कोरिया एक-दूसरे को मूल्यवान साझेदार के रूप में देखते हैं।
- दोनों देश स्वतंत्र रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा को आकार देना चाहते हैं, जिससे क्षेत्र में अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रयासों को संभावित रूप से नुकसान हो सकता है।
- द्विपक्षीय संबंधों का मजबूत होना क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक भू-राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

सारांश:

- हाल के वर्षों में रूस और उत्तर कोरिया के बीच संबंध तेजी से प्रगाढ़ हुए हैं, जो साझा चुनौतियों और रणनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हैं। यह साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक भू-राजनीति के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।

एक टीका जो छह प्रकार के कैंसरों को रोकता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

विज्ञान:

विषय: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और उनके अनुप्रयोग और रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभाव।

मुख्य परीक्षा: एचपीवी टीकाकरण (HPV Vaccination)।

सर्वाइकल कैंसर जागरूकता और एचपीवी टीकाकरण का परिचय:

- जनवरी माह सर्वाइकल कैंसर जागरूकता का माह है, जबकि 4 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय एचपीवी जागरूकता दिवस मनाया जाता है।
- वैश्विक स्तर पर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर चौथा सबसे आम कैंसर का प्रकार है, जिसकी वजह से सालाना 300,000 से अधिक मौतें होती हैं, जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों को असमान रूप से प्रभावित करती है।

- भारत में, सर्वाधिक कैंसर महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है, जो 15 वर्ष से अधिक उम्र की लगभग 500 मिलियन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है।

रोकथाम के लिए रणनीतियाँ:

- वैज्ञानिक हेराल्ड ज़ुर हाइसेन की 1983 की खोज ने गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को कुछ प्रकार के पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) से जोड़कर रोकथाम रणनीतियों का मार्ग प्रशस्त किया।
- रोकथाम के तरीकों में एचपीवी टीकाकरण और कैंसर पूर्व घावों की जांच शामिल है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ([World Health Organization](#)) ने 15 वर्ष की आयु तक लड़कियों के लिए 90% एचपीवी टीकाकरण कवरेज, 35 और 45 वर्ष की आयु तक महिलाओं के लिए 70% स्क्रीनिंग और 2030 तक गर्भाशय ग्रीवा पूर्व कैंसर और कैंसर के घावों के लिए 90% उपचार कवरेज को लक्षित करने वाले त्रि-स्तंभीय हस्तक्षेप की रूपरेखा तैयार की है।

भारत में स्थिति और चुनौतियाँ:

- भारत ने 2008 में एचपीवी वैक्सीन पेश की, जिसे 2023 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम ([Universal Immunization Programme](#)) में शामिल करने की योजना की घोषणा की गई।
- हालाँकि, पहुंच एक मुद्दा बनी हुई है, क्योंकि वैक्सीन मुख्य रूप से निजी बाजार में काफी कीमत पर उपलब्ध है।
- गर्भाशय ग्रीवा कैंसर और एचपीवी संक्रमण की घटनाओं और जोखिमों के बारे में चिकित्सकों के बीच जागरूकता की कमी, साथ ही टीके की सुरक्षा और प्रभावशीलता के बारे में चिंताएं, योग्य किशोरों को एचपीवी टीके की सिफारिश करने में हिचकिचाहट पैदा करती हैं।

सुधार के प्रयास एवं सिफारिशें:

- फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया (एफओजीएसआई) और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (आईएपी) एचपीवी टीकाकरण और माता-पिता के साथ प्रभावी संचार पर सदस्य चिकित्सकों को शिक्षित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं।
- दोनों संगठन 9 साल की उम्र से एचपीवी टीकाकरण शुरू करने और 30 से ऊपर की महिलाओं के लिए नियमित जांच की सलाह देते हैं।
- FOGSI और IAP का लक्ष्य अपने समुदायों के भीतर टीकाकरण और स्क्रीनिंग को बढ़ावा देने के लिए 2024 के मध्य तक 20,000 HPV चिकित्सक चैंपियन को प्रशिक्षित करना है।

सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने में चिकित्सकों की भूमिका:

- चिकित्सकों को समाज में अग्रणी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का विश्वसनीय स्रोत माना जाता है।
- एचपीवी टीकाकरण और नियमित जांच की वकालत के माध्यम से भारत में सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने में उनका नेतृत्व महत्वपूर्ण है।

सारांश:

- सर्वाइकल कैंसर एक महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य चिंता है, खासकर भारत जैसे निम्न-आय वाले देशों में। एचपीवी टीकाकरण जैसे निवारक उपायों के बावजूद, पहुंच और जागरूकता चुनौतियां बनी हुई हैं। चिकित्सा संगठनों के प्रयासों का उद्देश्य चिकित्सकों को शिक्षित करना और टीकाकरण दर में वृद्धि करना है, जो इस बीमारी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. 3 डिग्री की वजह से हिमालय में साल भर सूखा:

संदर्भ:

- यूके में ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय (UEA) द्वारा किए गए शोध में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया और घाना सहित विभिन्न देशों पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव की जांच की गई है।
- इस अध्ययन का उद्देश्य 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ वैश्विक तापमान में वृद्धि के रूप में मानव और प्राकृतिक प्रणालियों के लिए उत्पन्न जोखिमों की मात्रा निर्धारित करना है।

मुद्दा:

- शोध इस बात पर प्रकाश डालता है कि वैश्विक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से हिमालय क्षेत्र के लगभग 90% हिस्से में गंभीर और लंबे समय तक सूखा पड़ सकता है।
- यदि ग्लोबल वार्मिंग 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, तो भारत में गर्मी के तनाव (heat stress) के बढ़ने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है, जिससे लगभग 80% आबादी प्रभावित होगी। (heat stress- गर्मी के तनाव में उन स्थितियों की एक श्रृंखला शामिल होती है जहां शरीर अधिक गर्मी के कारण तनाव में होता है।)
- अध्ययन में कृषि, जैव विविधता और प्राकृतिक पूंजी पर हानिकारक प्रभावों की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें फसल की पैदावार में गिरावट, परागण की हानि और एक वर्ष से अधिक समय तक चलने वाले गंभीर सूखे के कारण कृषि भूमि का जोखिम बढ़ना शामिल है।
- समुद्र के स्तर में वृद्धि से जुड़े आर्थिक नुकसान भी तटीय देशों में बढ़ने का अनुमान है, हालांकि यह धीमी गति से बढ़ेगा अगर वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहती है तो।

महत्व:

- ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के पेरिस समझौते (Paris Agreement) के लक्ष्य का पालन करने से इनमें से कई जोखिमों को कम किया जा सकता है, जिसमें भारत में गर्मी के तनाव को कम करना और कृषि उत्पादकता और प्राकृतिक पूंजी पर प्रभाव को कम करना शामिल है।

- इसके निष्कर्ष ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाने और वैश्विक तापमान में वृद्धि को सीमित करने के लिए वैश्विक प्रयासों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
- वर्तमान नीतियां अपर्याप्त हैं, और आगे की कार्रवाई के बिना, दुनिया 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने की राह पर है।
- यह शोध नीति निर्माताओं के लिए एक वेक-अप कॉल के रूप में कार्य करता है, जो जलवायु परिवर्तन से जुड़े बढ़ते जोखिमों को उजागर करता है और पेरिस समझौते के उद्देश्यों के साथ जलवायु नीतियों को संरेखित करने के महत्व पर जोर देता है।

2. बड़े स्वीडिश अध्ययन ने आंत्र रोग और शिशु आहार के बीच संबंध का संकेत दिया:

संदर्भ:

- अध्ययन में नॉर्वे और स्वीडन के 80,000 से अधिक बच्चों की आहार संबंधी आदतों की जांच की गई, जिसमें एक और तीन साल की उम्र में उनके सेवन (खाने) पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- सूजन आंत्र रोग (आईबीडी), जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन रोग शामिल हैं, के आहार, आनुवंशिकी और पर्यावरण सहित बहुकारक कारण हैं।
- शैशवावस्था के दौरान आंत के माइक्रोबायोम परिवर्तन आईबीडी विकास में शामिल होते हैं, जो आहार संबंधी प्रभावों को प्रभावित करते हैं।

निष्कर्ष:

- एक वर्ष में मछली और सब्जियों के अधिक सेवन से आईबीडी के जोखिम कम होने से संबंधित है, जबकि चीनी-मीठे पेय पदार्थों के सेवन से इसका जोखिम बढ़ जाता है।
- तीन वर्षों में, केवल मछली का सेवन कम आईबीडी जोखिम का एक भविष्यवक्ता बना रहा, जो की संभावित रूप से पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड और विटामिन डी सामग्री के कारण रहा।

- अध्ययन में आईबीडी विकास में प्रारंभिक आहार पैटर्न के महत्व पर प्रकाश डाला गया, विशेष रूप से मछली के सेवन की भूमिका पर।

महत्व:

- प्रारंभिक जीवन के आहार और उसके बाद के आईबीडी जोखिम का संभावित विश्लेषण नया है, जो निवारक उपायों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- इस अध्ययन में चीनी-मीठे पेय पदार्थों को कम करते हुए फलों, सब्जियों और मछली सहित संतुलित शिशु आहार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
- इसके निष्कर्ष शैशवावस्था में आहार संबंधी संशोधनों के माध्यम से आईबीडी के प्रसार को कम करने के लिए हस्तक्षेप का एक संभावित रास्ता सुझाते हैं।

3. क्या आप स्पैम या धोखाधड़ी कॉल से परेशान हो चुके हैं? तो “चक्षु” पर मुकदमा दायर कर सकते हैं:

संदर्भ:

- दूरसंचार विभाग (DoT) ने दूरसंचार उपयोगकर्ताओं के लिए चक्षु नाम से एक नया प्लेटफॉर्म पेश किया है।
- चक्षु का लक्ष्य स्पैम और धोखाधड़ी कॉल की समस्या का समाधान करना है।
- यह प्लेटफॉर्म साइबर सुरक्षा बढ़ाने और नागरिकों को दूरसंचार क्षेत्र में धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से बचाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

चक्षु से सम्बन्धित जानकारी:

- चक्षु DoT द्वारा लॉन्च किया गया एक प्लेटफॉर्म है जहां टेलीकॉम उपयोगकर्ता संदिग्ध धोखाधड़ी या स्पैम कॉल करने वालों की रिपोर्ट कर सकते हैं।
- उपयोगकर्ता चक्षु को sancharsathi.gov.in/sfc पर एक्सेस कर सकते हैं।

- यह नागरिकों को बैंक खातों, भुगतान वॉलेट, सिम कार्ड, गैस और बिजली कनेक्शन, केवाईसी अपडेट, प्रतिरूपण और सेक्सटॉर्शन से संबंधित विभिन्न प्रकार के धोखाधड़ी संचारों की सक्रिय रूप से रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है।

महत्व:

- चक्षु का लॉन्च नागरिकों को धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करता है, जिससे एक सुरक्षित दूरसंचार वातावरण में योगदान मिलता है।
- चक्षु के अलावा, DoT ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भी पेश किया है, जो दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच गैर-सार्वजनिक डेटा साझा करने के लिए एक संसाधन है।
- संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कॉलर नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) के लिए समर्थन व्यक्त किया है, जो एक ऐसी सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को कॉल करने वालों का पंजीकृत नाम देखने की अनुमति देती है।

सारांश:

- हालाँकि कुछ हितधारकों ने गोपनीयता अधिकारों पर सीएनएपी के प्रभाव के बारे में चिंता जताई है, जबकि वैष्णव ने इसकी तुलना यह जानने के अधिकार से की है कि दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है, एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो गोपनीयता और सुरक्षा दोनों चिंताओं पर विचार करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वर्ष 1998 में कल्याण मंत्रालय का नाम बदलकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कर दिया गया।
2. नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई एक पहल है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: c

प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 'फाइव आइज़' ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान और अमेरिका का एक बहुपक्षीय खुफिया-साझाकरण नेटवर्क है।
2. ECHELON फाइव आइज़ के निगरानी कार्यक्रम को संदर्भित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: b

प्रश्न 3. किस बैंक ने भारत भर में पहला माइक्रो एटीएम पेश किया है?

- (a) आईसीआईसीआई बैंक

- (b) एक्सिस बैंक
- (c) भारतीय स्टेट बैंक
- (d) कोटक महिंद्रा बैंक

उत्तर: d

प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. स्टेनलेस स्टील को संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करने वाला प्रमुख मिश्रधातु तत्व क्रोमियम है।
2. मोलिब्डेनम का उपयोग स्टील की कठोरता, कठोरता और तन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।
3. इसे पूरी तरह से रिसाइकल करने योग्य माना जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: d

प्रश्न 5. राष्ट्रीय स्तर पर, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केन्द्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) है? PYQ(2021)

- (a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- (b) पंचायती राज मंत्रालय
- (c) ग्रामीण विकास मंत्रालय
- (d) जनजातीय कार्य मंत्रालय

उत्तर: d

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. संसदीय विशेषाधिकारों के बिना, संसद सदस्य संविधान द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द) [जीएस-2, राजव्यवस्था] (Without parliamentary privileges, Members of Parliament cannot discharge their functions assigned to them by the Constitution. Discuss. (15 marks, 250 words) [GS-2, Polity])

प्रश्न 2. चर्चा कीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख खुद को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग क्यों कर रहा है। (10 अंक, 150 शब्द) [जीएस-2, राजव्यवस्था] (Discuss why the Union Territory of Ladakh is demanding to include itself in the Sixth Schedule. (10 marks, 150 words) [GS-2, Polity])

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर **BYJU'S** की वेब साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)